रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 351] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 13, 1974/श्रावण 22, 1896

No. 351] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13, 1974/SRAVANA 22, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August 1974

S.O. 488(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by Section 3 of the said Act to make orders under clauses (c), (d), (f), (h), (i) and (j) of sub-section (2) of that section shall, in relation to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Collectors of Ahmedabad, Amreli, Kutch, Kaira, Gandhinagar, Jamnagar, Junagadh, Dangs, Panchmahals, Banaskantha, Broch, Bhavnagar, Mehsana, Rajkot, Broda, Sabarkantha and Surendranagar districts of Gujarat State in their respective districts.

This order shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India and shall remain in force upto and inclusive of the 31st October, 1974.

THE SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

(i) Hay.
(ii) Grass.
(iii) Chara.
(iv) Paddy straw.
(v) Bhusa.
(vi) Chuni.
(vii) Guvar.
(viii) Kadabi.
(ix) Karab and Karabi.

[No. 32-1/74-L.D. III

J. NAIDU, Addl. Se

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1974

का० आ० 488(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा, उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (घ), (च) (ज), (झ) और (ञ), के अधीन आदेश देने के लिये, उसकी प्रदत्ताशक्तियां; इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी किस्म के पशुचारे के संबंध में, गुजरात राज्य के अहमदाबाद, अमरेली, कच्छ, कैरा, गांधी नगर, जामनगर, जूनागढ़, डांग, पचमहल, बनासकांथा, बड़ोच, भावनगर, मेहसाना, राजकोट, बड़ौदा, साबरकांथा तथा सुरेन्द्रनगर जिलों के कलक्टरों द्वारा भी अपने-अपने जिलों में प्रयोक्तव्य होंगी।

यह आदेश भारत के राजपत्र में इस के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा। और 31 अक्तूबर, 1974 तक जिस में यह सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

अनुसूची

पशुचारे की किस्में

(1) सूखी घास
(2) घास
(3) चारा
(4) धान का पुआल
(5) भूसा
(6) चुनी
(7) ग्वार
(8) कदबी
(9) करब या करबी

[सं० 32-1/74-एल० डी० 3]

आई० जे० नायडू, अपर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974